समाहरणालय, मधेपुरा (गोपनीय शाखा) :- आदेश :-

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, विकार सरकार इंगर संवाहित तम्बाकू विवंशण कार्यक्रम के अंतर्गत दितांक २7-01-2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, मवेपुरा एवं सोशियो इक्लॉमिक एण्ड एजुकेसबल देवलामॅंट सोसाईर्थ (शीष्ट्रा) बिसर के संयुक्त तत्यायान में जिला तम्बाक् विवंशण कार्यक्रम कार्यका जिलासतीय उन्युक्तीकरण कार्यवाला का आयोजन किया राया। कार्यसाला में लिए जए निर्थय के अनुसार वरीय उप समाहर्ता (आयार), मवेपुरा को जिला तम्बाकू विवंशण कार्यक्रम रावेशक सोड पत्राविकारी बामित किया जाता है। परीय उप समाहर्ता जिले के सभी विभानों के पदाधिकारियों के साथ समन्दव कार्यम कर तम्बाकू विवंशण कार्यक्रम का किसे में सफल रांधालब कराता सुविधित्त करेंगे। मवेपुरा के विभिन्न पाराओं का प्रभावी अनुपालन तता दश्व द्वप्रस्था को मंत्री प्रदान कराजा सुविधित्त करेंगे। मवेपुरा के विभिन्न पाराओं का प्रभावी अनुपालन तता दश्व द्वप्रस्था को मंत्री प्रदान कराजा सुविधित्त करेंगे। मवेपुरा किसे को

> यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लामू होगा। इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाव।

ह0/-जिलाधिकारी-यह-अख्यक्ष, जिला तम्बाक् नियंत्रण समन्तव समिति, मचेपुरा।

ज्ञापांक 249 लो०, नचेपुरा दिनांक 2.8/01/14

उप विकास आयुक्त, मधेपुरा मिदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, मधेपुरा /सभी प्रभाग्ने विविश्या पताविकारी पावनिक स्वास्थ्य केन्द्र मधेपुरा क्रिला मिला सिला पराधिकारी, मधेपुरा /अनुमंद्रत पराधिकारी, मधेपुरा /स्वाजिकुवर्मका /सभी प्रखंड विकास पराधिकारी, मधेपुरा (सभी प्रखंड विशा प्रसार पराधिकारी, मधेपुरा /स्वा विडोड पीठांठो, मधेपुरा /स्ता आडीक्स, मधेपुरा प्रखंड दिशा प्रसार पराधिकारी, मधेपुरा /स्वा विडोड पीठांठो, मधेपुरा /स्ता आडीक्स, मधेपुरा प्रखंड दिशा प्रसार पराधिकारी, मधेपुरा /स्ता आडीक्स, मधेपुरा मधे युवनार्थ परं आवश्यक कार्यप्राई हेतु प्रेषित। अनुरोध हे कि उपने सेनाव्यजेत कार्यालयी /सार्यवनिक स्वानों को तत्याकू एवं सुरापान सुक्त सेत्र घोषित करना एवं इस हेतु आवश्यक कटन उजना प्रतिविधत करे।

प्रतिशिपि :

णिता युपना एवं जनसम्पर्क पदायिकारी, मधेपुरा को सूचनार्य एवं बिसेवित किया जाता है कि जिले के सभी समाधार पत्रों में उपरेक्षा आरंश का नियमित अंतराल पर प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : सभी सदस्य, ज़िला तम्बाकू नियंत्रण, तमन्वय ग्रनिति, मपेपुरा को सूपनार्थ एवं अनुपालमार्थ प्रेवित । प्रतिलिपि : सिंगिल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मपेपुरा को सूचनार्थ प्रेवित ।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतितिपि : कार्यपालक बिदेशक, सीडस, 303 बसन्ती कुन्ज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड, पुनाईबक, पटना को सूचनार्य प्रेबित।

प्रतितिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार पटना /राज्य सलाठकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूर्वमार्य प्रेषित।

प्रतितिपि : रवास्थ्य सविव-सह- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्थास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतितिपि : आयुक्त, कोशी प्रमच्छत, सहरसा /पुलिस उप नहानिरीक्षक, सहरसा को सादर युघनार्थ प्रेषित।

27/0/14

जिलाधिकारी-सरु-अध्यक्ष, जिला तम्बाकू मियंत्रण समन्त्रय समिति, मधेपुरा।

E:\manoj\order\work order.doc

समाहरणालय, मधेपुरा (जिला गोपनीय शाखा) अधिरुचना

सिंगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Product (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA) को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु खाख्य विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना "संख्या 336 (12) पटना दिनांक 02-04-2012 के आलोक में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति का गठन किया गया था, पर अधिसूचना में दिये गये निर्देश के अनुसार नहीं होने के कारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC) " का पूर्नगठन किया जाता है।

गठित की गयी समिति में विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थानों के निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1.	जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति	-	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा	-	सदस्य
з.	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा	-	संदस्य
4.	सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति	-	सदस्य सचिव
5.	विशेष नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम मधेपुरा		सदस्य-सह-समन्वयक
б.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	-	सदस्य
7.	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी	-	सदस्य
8.	जिला परिवहन पदाधिकारी	-	सदस्य
9.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	-	सदस्य
10.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा	-	सदस्य
11.	जिला खाद्य /औषधि नियंत्रक		सदस्य
12.	प्राचार्य, टी०पी०कॉलेज, मधेपुरा		सदस्य
13.	प्राचार्य, शिवनन्दन प्रसाद मंडल इंटर स्तरीय, मधेपुरा		सदस्य
14.	सचिव, रेडक्रास सोसाइटी, मधेपुरा	-	सदस्य
15.	प्रतिनिधि सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशनल		

डेवलपर्मेट सोसाइटी (SEEDS) पटना

सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित है :-

> COTPA 2003 को पूरे जिला में प्रभावी रूप से लागू कराने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने एवं मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।

- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- सभी प्रखंडों की अनुश्रवण /रहनुमाई समितियों का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियत्रंण से संबंधित कितने मामलों में फैसला किया गया है।
- > तम्बाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखंड स्तरीय समितियों को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA 2003) की धारा-4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करना तथा जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।

> जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (DTCCC) के सदस्यों की त्रैमासिक बैठक सुनिश्चित करना।

तम्बाकू और संबंद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष /Surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।

otism \$STRUME

त्रम्बानु निर्मामण कार्यक्र

जिलाधिकारी मधेपुरा

प्रतिलिपि :-

गो० मधेपुरा, दिनांक 03./02/2019 महाठ आपार

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्त्रय समिति, मधेपुरा /जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० / डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षौं एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

- प्रतिलिपि :-आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /पुलिस उप महानिरीक्षक, संहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-कार्यपालक निदेशक, सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी /राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :--स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सुचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी

मोडल पड़ारियनार में केवा के निल्हेमण में

मधेपुरा

לכוצטאוצ הווצה וחרצי וחד

7/2/221

समाहरणालय, मधेपुरा (जिला गोपनीय शाखा) आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो ज़ाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनंगक 27.01.2014 को जिला स्वास्थ समिति, मधेपुरा एवं सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपर्मेट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते है।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा-बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिक्षालय, टी स्टॉल, निष्ठान भंडार, दाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षिणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धुम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, COTPA-2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, उल्लंधनकर्ता को रूपये 200/-तक जुर्माना किया जा सकता हैं। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :-

60cmx30cm धूम्रपान रहित क्षेत्र, यहाँ धूम्रपान करना एक अपराध है। उल्लंघन करने पर 200/ – रूपये तक जुर्माना किया जाएगा। भी व्यक्तिम धुम्पणन करने गिरकाई NAME OF TAX. कोन / सोबाईल न. . 60cmx15cm

अतः चालान के द्वारा अधिकतम २०० रू० तक दंड की व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंधन करने वाले को 200 रु0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

atem Billing 1

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा

ज्ञापांक 321 /गो० मधेपुरा, दिनांक 03/02/2014

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा /जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपिः आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी /राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

atom water

13/02/14

जिलाधिकारी –सह– अध्यक्ष, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

आदेश

मधेपुरा जिले के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यया सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार-प्रसार बैनर्स /पोस्टर्स /होर्डिंग्स /दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिंगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, २००३, के वारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार "धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास /रूपये 1000/-(रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों /संस्याओं /द्रकानदारों /व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स /पोस्टर्स /होर्डिंग्स /दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार-प्रसार करना बंद करें एवं मधेपुरा जिले में लगाये गये इस तरह के बैनर्स /पोस्टर्स /होर्डिंग्स /दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संगत कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र को TAPS (Tobacco Advertisement Promotion and Sponsorship) मुक्त कर अधोहस्ताक्षरी को एक माह के अंदर सुचित करें।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ने 500 के भिष्मारी जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,

23/02/14

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा।

ज्ञापांक 3.25 /गो० मधेपुरा, दिनांक 0.3/02/2014

प्रतिलिपि :-

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा /जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० / डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित।

प्रतिलिपि :-पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :-

कार्यपालक निदेशक, सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपर्मेंट सोसाइटी (सीडस), 303 प्रतिलिपिः --बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी /राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य प्रतिलिपि :-समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ

प्रतिलिपि :--

ग्रेषित ।

जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष, जोड के प्रताधिकारी जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा।



समाहरणालय, मधेपुरा (जिला गोपनीय शाखा)

आदेश

तम्बाकू सेवन से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2014 को जिला स्वास्थ समिति, मधेपुरा एवं सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के सयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6A) के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अर्न्तगत 18 वर्ष से कम उस के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :-



जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा- बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मशाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेगें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है।

जिलाधिकारी –सह– अध्यक्ष, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपूरा।

ज्ञापांक 319 /गो० मधेपुरा, दिनांक 03/02/2014

प्रतिलिपि :- . सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा /जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० / डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला खास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे। आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित। कार्यपालक निदेशक, सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 प्रतिलिपि :-

बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी /राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रतिलिपि :-प्रेषित। 2702/14

TISM BIRMANST

जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा।

. समाहरणालय, मधेपुरा (जिला गोपनीय .प्रशाखा)

आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2014 को जिला स्वास्थ समिति, मधेपुरा एवं सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरिय कार्यशाला का आयोजन किया गया एवं कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6B) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकु मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकु के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर एवं फ्लैक्स लगाने का निदेश दिया गर्या है। फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :-

60cmx 60 cm (15cm+30cm+15cm)

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान इस जिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200/-रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। अत्वेत्रान्शार न को अधिाकारी कर

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने-अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं 100 गज के दायरें में किसी भी प्रकार का तम्बाकु उत्पाद की बिकी पर पुर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

i/manoj/toboco/lette

अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकु के दूष्परिणामों के बारें में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकु नियंत्रण पर प्रभात-फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें।

362/14 मेडलाधी जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपरा

प्रतिलिपिः - सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा /जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० / डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपिः-पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से

जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपिः-आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः :-कार्यपालक निदेशक, सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी /राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य प्रतिलिपि :-समिति, बिहार पटना को सूचनार्य प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

nisor BITHINET

13/23/14

जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा (जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय छापामार दस्ते का गढन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंधनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 2,00/– तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे:-

1. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय)	_	अध्यक्ष	
2. उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा		सदस्य	
3. जिला परिवहन पदाधिकारी	-	सदस्य	
4. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	-	सदस्य	
5. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS)	· 	सदस्य	
 जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी 	_	सदस्य	
7. औषधि निरीक्षक	_	सदस्य	
८. जिला शिक्षा पदाधिकारी	-	सदस्य	
9. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति)	_ =	सदस्य	
10. श्रम अधीक्षक,कटिहार	-	सदस्य	
11. संबंधित थानाध्यक्ष	_	सदस्य	
12. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण)		- समन्वयक	
		clolodday	

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को कियान्वित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला नोडल पदाधिकारी, (तम्बाकू नियंत्रण कोषांग) मधेपुरा

oj/toboco/lette

सिविल सर्जन-सह-सदस्य, सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति. मधेपुरा

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी. / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा /जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० / डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु रेप्रेषित। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे। आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपर्मेट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी /राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला नोडल पदाधिकारी, (तम्बाकू नियंत्रण कोषांग) मधेपुरा

सिविल सर्चन-सह-सदस्य,

3/12/14 जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष. जिला स्वास्थ्य समिति,

मधेपूरा

सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,

मधेपुरा

समाहरणालय, मधेपुरा (जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनंक 27.01.2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के सयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ अनुमंडल स्तरीय छपामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंधनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/– तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

	1.	अनुमंडल पदाधिकारी		अध्यक्ष
	2.	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	<u> </u>	सदस्य
	з.	कार्यपालक दण्डाधिकारी	-	सदस्य
24	4.	अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी	-	सदस्य
	5.	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय		सदस्य
	6.	अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी		सदस्य
	7.	संबंधित थानाध्यक्ष	-	सदस्य

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को कियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें लें सकेंगे।

जिला नोडल पदाधिकारी, (तम्बाकू नियंत्रण कोषांग) मधेपुरा

d/manoj/toboco/lett

सिविल सर्जन-सह-सदस्य, सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा

23/02/14

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा ज्ञापांक <u>353</u>/गो० मधेपुरा, दिनांक <u>6/02/2014</u> प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पंदाधिकारी / अनमंडल प

सभी प्रखंड विकास पंदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा /जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला 'सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपिः आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक, सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपर्मेट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी /राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ • प्रेषित।

lus 72/14

जिला नोडल पदाधिकारी, (तम्बाकू नियंत्रण कोषांग) मधेपुरा

सिविल सर्जन-सॅहॅ-सदस्य, सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा

13/02/14

जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा

समाहरणालय, मधेपुरा (जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2014 को जिला स्वास्थ्य समिति, नधेपुरा एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के सयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विकय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंधनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/– तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी	-	अध्यक्ष
2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	· _	सन्वयक सदस्य
3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	-	सदस्य
4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी		सदस्य
5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	-	सदस्य
6. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक		सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष		सदस्य

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को कियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सर्केंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवार्ये ली जा

03/2/14

Que staling

सिविल सर्जने-सह-सर्वस्य, सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा

जिला नोडल पदाधिकारी, (तम्बाकू नियंत्रण कोषांग) र मधेपुरा

सर्केगी।

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा

इापांक <u>354</u>/गो० मधेपुरा, दिनांक <u>06/02/2014</u>

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा ./उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा /जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुं प्रेषित। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

- प्रतिलिपि :-
- प्रतिलिपि :-

जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे। आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित। कार्यपालक निदेशक, सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेन्ट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी /राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः :-

oj/tobo

स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला नोडल पदीधिकारी, (तम्बाकू नियंत्रण कोषांग) मधेपुरा

सिविल सर्जब-सह-सदस्य,

02/12/14 जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति. मधेपूरा

सविव, जिला स्वास्थ्य समिति, अधेपुरा

142 Shiph Bursha Rull 221 12 21,415 2 61 (28 4 20) 303 94, 12 20.